राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 5642/2021

उम्मेद सिंह चुंडावत **–अपीलार्थी**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.10.2021
आदेश की दिनांक : 18.05.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.सी. जोशी, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी दिनांक 11.11.1957 से 24.05.1958 तक अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यरत था। इसके पश्चात् अपीलार्थी दिनांक 14.07.1958 से 30.06.1959 तक अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यरत था, फिर दिनांक 20.07.1959 से 30.04.1960 तक अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर कार्यरत रहा। अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 02.07.1960 को आरपीएससी के चयन प्रक्रिया के पश्चात अध्यापक ग्रेड–द्वितीय के पद पर नियमित रूप से हुई बाद में अपीलार्थी की नियुक्ति आरपीएससी की चयन प्रक्रिया के जरिये (Inspector Commercial Taxation Department) सीटीआई विभाग में दिनांक 22.05.1981 को हुई एवं अपीलार्थी सीटीआई के पद से दिनांक 28.02.1993 को सेवानिवृत्ति हुआ। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी ने जो सेवाए दिनांक 11.11.1957 से 01.07.1960 तक अध्यापक ग्रेड–द्वितीय पर दी, उसे पेंशन के लिये नहीं जोडा गया। इस प्रकार अपीलार्थी को कम पेंशन प्राप्त हुई है।

2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह कथन अंकित किया गया है कि अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका में इन्द्राज अनुसार प्रथम नियुक्ति एवं सेवा का सत्यापन दिनांक 02.07.1960 से किया गया। अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका के अनुसार अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 02.07.1960 से पूर्व की अस्थाई नियुक्ति अवधि का नियमानुसार इन्द्राज अंकित किया गया है:–

क्र.सं.	अवधि कब से कब तक	विशेष
1.	दिनांक 11.11.1957 से 24.05.1958	अस्थाई
2.	दिनांक 14.07.1958 से 30.06.1959	अस्थाई
3.	दिनांक 20.07.1959 से 30.04.1960	अस्थाई

विभागीय आदेश दिनांक 19.03.1969 द्वारा अपीलार्थी की सेवा का सत्यापन किया गया है परंतु स्थाई नहीं माना गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया है कि अस्थाई रूप से कार्मिक द्वारा किया गया कार्य स्थाई या नियमित मानकर संपूर्ण सेवाकाल में नहीं जोड़ा जा सकता है।

3. दोनों पक्षों के तर्को पर विचार किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 02.07.1960 से आरपीएससी में नियुक्ति के पश्चात कार्यभार ग्रहण किया था, तब से अपीलार्थी ने अपनी नियमित सेवाएं दी थी। अपीलार्थी ने उसकी पूर्व की जो सेवाएं दी है उसके सम्बन्ध में अपीलार्थी ने कोई नियुक्ति आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे तर्क रहा है कि अपीलार्थी दिनांक 11.11.1957 से 01.07.1960 तक अस्थायी अध्यापक के रूप में कार्यरत था। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपीलार्थी दिनांक 11.11.1957 से 24.05.1958 तक फिर दिनांक 14.07.1958 से 30.06.1959 तक, इसके पश्चात दिनांक 20.07.1959 से 30.04.1960 तक अस्थायी रूप से कार्यरत था। उसके पश्चात अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति दिनांक 02.07.1960 को चयन प्रक्रिया अपनाये जाने के पश्चात हुई थी। नियमित नियुक्ति के पश्चात ही अपीलार्थी को केडर में माना जा सकता है एवं उसकी नियमित नियुक्ति के पश्चात ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के तहत पेंशन योग्य सेवा मानी जा सकती है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा जो नियमित रूप से नियुक्ति के पूर्व जो अस्थाई सेवाएं प्रदान की है वह पेंशन योग्य सेवा में जुडवाने का अधिकारी नहीं है।
4. परिणामस्वरूप अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)